आज़ादी का
अमृत महोत्सव

संख्या-11/2022/सैतालिस-का-1/2022/13(3)/2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक/6अगस्त, 2022

विषय: उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाहियों का नियमानुसार निस्तारण के संबंध में जाँच अधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में।

कृपया रिट याचिका संख्या-2555/2022 रिट-ए प्रकाश चन्द्र अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07 मई 2022 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा योजित विशेष अपील संख्या-97/2022 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-22.07.2022 को पारित किये गए आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है:

"..... At this stage, we are only examining the issue regarding training part of Enquiry Officers in the State. Learned Single Judge vide order dated May 7, 2022 issued direction that no Enquiry Officer in future shall be appointed for departmental inquiry, who has not received training from the Judicial Training & Research Institute (hereinafter referred to as "JTRI"). We find 2 Special Appeal Defective No.97 of 2022 that this sweeping direction will withhold number of inquires, which are pending in the different departments in the State keeping in view the infrastructure available in the JTRI. For conducting such inquiries, the importance of training to the officers, who have to hold the departmental inquiry, may not be lost sight of keeping in view the repeated violation of principles of natural justice and the rules governing such inquiries.

5. In the affidavit filed today, certain communications have been annexed and figures have been provided regarding training programs conducted after passing of the aforesaid order and from April 1, 2022 onwards. It is claimed that departmental inquiry is one of the subject in the training programme of the Officers but what we find prima facie is that the training being imparted is not yielding the results as required, as still the rules and principles of natural justice are found to be violated. The training programme for such Officers has to be more robust and specialised, for which the State is directed to place before the Court a comprehensive plan.

6. As the sweeping directions issued by the learned Signle Judge will withhold all the departmental inquiries, we stay those directions to the extent - 'that no Officer in future shall be appointed for departmental inquiry unless he has received training from JTRI'. However, we expect that in the pending inquiries, the Officers holding such inquiries shall be sensitised without any delay and further the training programs of the Officers shall be regular exercise."

2. मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-22.07.2022 के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों किए जाने के संबंध में उत्तर

प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 प्रथम संशोधन नियमावली, 2014, शासनादेश क्रमशः दिनांक 22-04-2015, दिनांक 11-08-2015, दिनांक 10-02-2021 और दिनांक 19-07-2022 मुख्य रूप से निर्गत किए गए हैं।

3. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अधीन संस्थित अनुशासनिक जाँच के प्रकरण में नियुक्त जाँच अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु मुख्य रूप से निम्नांकित दिशा निर्देश शासनादेश दिनांक 19-07-2022 के माध्यम से निर्गत किए गए हैं:

(अ)- <u>जिसका अनुपालन आवश्यक है (Do's)-</u>

(I) अपचारी कार्मिक द्वारा यदि अभिलेखों के निरीक्षण की अपेक्षा की जाती हो तो उसे निरीक्षण का अवसर अवश्य प्रदान किया जाये।

(II) अपचारी कार्मिक से अपना लिखित स्पष्टीकरण 15 दिन से 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करने को कहा जाये।

(III) यदि जाँच, पूर्व नियुक्ति के स्थान से संबंधित है तो अपचारी सरकारी सेवक को उस स्थान पर जाने की अनुमति दे दी जाये, जहाँ उसे अभिलेख आदि देखने हैं।

(IV) जाँच अधिकारी द्वारा अपचारी कार्मिक को साक्ष्य के अन्तर्गत दिये गये अभिलेखों की स्वीकार्यता के संबंध में आपत्ति प्रकट करने का अवसर भी दिया जाये।

(V) आरोपित सरकारी सेवक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए। यदि आरोपित सरकारी सेवक आरोपों से इन्कार करता है, वहाँ जाँच अधिकारी आरोप पत्र में प्रस्तावित साक्षियों (Witnesses) को प्रतिपरीक्षण(Cross-Examination) हेतु बुला सकता है। जाँच अधिकारी द्वारा उनके मौखिक साक्ष्यों को आरोपित अधिकारी की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाये। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात जाँच अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य को माँगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था।

प्रतिबंध यह है कि जाँच अधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखित रूप से अभिलिखित किए जाएगें, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा।

(VI) जाँच अधिकारी द्वारा जाँच के दौरान गवाहों के बयान आरोपित सरकारी सेवक के समक्ष तथा विधिवत शपथ दिलवाने के उपरान्त लिया जाये।

(VII) जाँच अधिकारी द्वारा संपूर्ण जाँच की कार्यवाही में कृत कार्यवाहियों का **आदेश पत्रक(Order Sheet)** तैयार किये जाये जिस पर यथासमय आरोपित अधिकारी एवं अन्य साक्षियों के हस्ताक्षर कराया जाये। जाँच आख्या प्रस्तुत करते समय जाँच आख्या के साथ उक्त आदेश पत्रक को संलग्नक के रूप में अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रेषित किया जाये।

(ब)- <u>निषेधात्मक निर्देश (Don'ts)</u>

(I) सामान्यतया अपचारी कार्मिक को अपना स्पष्टीकरण दिये जाने हेतु 02 माह से अधिक का समय न दिया जाये। किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त समय सीमा में युक्ति-युक्त (Reasonable) वृद्धि की जा सकती है।

(II) जाँच अधिकारी को जाँच आख्या में प्रस्तावित दण्ड के विषय में कोई मंतव्य अथवा संस्तुति अंकित नहीं की जाये।

(III) बिना उचित कारण के जाँच कार्यवाही लम्बित नहीं रखी जाये।

(IV) सुनवाई, साक्ष्य अथवा अन्य कार्यवाही हेतु नियत तिथियों को आगे न टाला जाये। यदि ऐसा करना अपरिहार्य हो तो उसे सकारण आदेश पत्रक में उल्लिखित किया जाये।

4. वर्तमान में प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाहियों से सम्बंधित जाँच अधिकारियों को प्रस्तर 3 में उल्लिखित निर्देशों को उपलब्ध कराते हुए उनसे इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि उनके द्वारा उक्त निर्देशों को पढ़कर भली-भाँति समझ लिया गया है। भविष्य में भी जितनी अनुशासनिक कार्यवाहियां संस्थित की जाएं उनके जाँच अधिकारियों को भी उनकी नियुक्ति पत्र के साथ ही इसकी प्रति संलग्न करते हुए इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि उनके द्वारा इन निर्देशों को पढ़कर भली-भाँति समझ लिया गया है।

5. उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त प्रशिक्षण संस्थाओं को उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित नियमावलियों/शासनादेशों की व्यवस्थाओं का संज्ञान लेते हुए आधार भूत प्रशिक्षण(Induction Training) कार्यक्रमों में पांच/छः सत्र (Period) एवं सेवा कालीन प्रशिक्षण(In Service Training) के कार्यक्रमों में एक/दो सत्र (Period) अनुशासनिक जाँच कार्यवाही/ प्रक्रिया के संबंध में रखा जाये। इसके साथ ही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर, अधिक से अधिक संख्या में प्रभावी प्रशिक्षण कराये जाने हेतु व्यापक योजना (Comprehensive plan) तथा प्रस्तर-4 में उल्लिखित बिन्दु के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना कार्मिक विभाग को दिनांक 15.09.2022 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6. उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उन अधिकारियों को वरीयता प्रदान की जाये जिन्हें संप्रति प्रचलित किसी अनुशासनिक कार्यवाही में जाँच अधिकारी नामित किया गया हो।

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 12-09-2022 15:23:40
Reason: Approved

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या-1//2022/ सैतालिस-का-1/2022/13(3)/2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
2. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव